राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पास जयपुर

क्रमांकः–एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2023/32395 जयपुर, दिनांक :– 16/06/2023

आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परिक्षाओं में वर्ष 2022–23 में शामिल होने की स्वीकृती निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	नाम अधिकारी /कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	कक्षा
1	सुश्री सोनिका जोईया	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बीकानेर	Ph.D
2	श्री प्रांशु शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, भीलवाडा	B.A. 3rd year
3	श्री झगेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी नदबई (भरतपुर)	M.A. Previous (Geography)
4	श्री संजय कुमार	छात्रावास अधीक्षक	कार्यालय, सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर।	MLIS
5	श्री लखन सिंह	निजी सहायक	कार्यालय, सहायक निदेशक, सान्याअवि, दौसा।	B.A. 3rd year

शर्तेः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियो/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/कर्मचारियो को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।

Signature valid
Digitally signed by Vish Ram Meena
Designation : Special Secretary To Government
Date: 2023.06.16 13:43:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4049997

7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत अधिक होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नही होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगें।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्राण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तो की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(विश्राम मीना)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः–एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2023/32396-410 जयपुर, दिनांक :– 16/06/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.................... ।
5. सम्बधित अधिकारी/कर्मचारी श्री.. ।
6. सयुंक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Vish Ram Meena
Designation: Special Secretary To Government
Date: 2023.06.16 13:43:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4049997